



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230814
CG-DL-E-29102021-230814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4164]
No. 4164]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4525(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 'गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी' (पैन AAATG3628A), जो गुजरात राज्य सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट उत्पन्न आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः

- (क) एनएसीओ (नाको) से प्राप्त अनुदान; और
 - (ख) उपर्युक्त (क) पर व्याज आय।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी' -
- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगी;
 - (ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगी।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2020-21 में, 01-06-2020 से 31-03-2021 की अवधि के लिए लागू की गई मानी जाएगी एवं वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 127/2021/फा. सं. 300196/10/2021-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4525(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Gujarat State Aids Control Society’ (PAN AAATG3628A), a Society constituted by the State Government of Gujarat, in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

- (a) Grant received from NACO; and
- (b) Interest income on (a) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Gujarat State AIDS Control Society,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 01-06-2020 to 31-03-2021 in the financial year 2020-2021 and shall apply for the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 127/2021/F. No. 300196/10/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.